

मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लि., भोपाल

C I N: U02001 M P 1975 SGC 001341

Please visit our Website: www.mpsfdc.com

Phone -: RGM JABALPUR - 0761- 4017345, RGM BHOPAL- 0755 - 2674298, RGM SEONI - 0755 - 2773970

विज्ञापन क्र. 2017/37 अनुमानित वनोपज मात्रा नीलाम – मार्च – 2017

(नीलाम प्रातः 9 बजे से सूर्यास्त तक, आवश्यकतानुसार अगले दिन भी)

परियोजना मण्डल दूरभाष क्रमांक	डिपो	दिनांक	वनोपज का प्रकार	सागौन		अन्य		जलाऊ चट्टे नग	व्यापारिक बांस नग	औद्योगिक बांस नो.टन
				लट्ठा घ.मी.	बल्ली/ डेंगरी नग	लट्ठा घ.मी.	बल्ली/ डेंगरी नग			
छिंदवाडा-छिंदवाडा 07162-243271	सतनूर	8	नया	1500	35000	300	2000	2200	0	0
			पुराना	120	3112	656	1840	1573	0	0
लामटा-बालाघाट 07632-240772	कनकी	10	नया	500	50000	2500	20000	3800	50000	0
			पुराना	100	13205	1412	1589	3670	11665	0
बरघाट-सिवनी 07692-220240	बंजारी (धूमा)	15	नया	1250	37000	145	145	1150	0	0
			पुराना	113	25500	149	576	703	0	0
कुण्डम-जबलपुर 0761-2420362	गोसलपुर	16	नया	1400	92000	280	3500	1600	0	0
			पुराना	465	28044	59	580	54	0	30
मोहगांव-मण्डला 07642-251287	पांडीवारा	20	नया	500	50000	300	10000	1000	50000	0
			पुराना	200	33830	222	4229	399	1990	0
विदिशा-रायसेन, भोपाल 0755-2481315	ढकना चपना (सांची)	22	नया	2490	77221	17	170	1511	0	0
			पुराना	0	0	0	0	721	0	0
उमरिया-उमरिया 07653-222218	उमरिया	27	नया	700	23000	1800	22000	6000	0	0
			पुराना	47	1755	280	1054	739	0	0

नोट:- 1. शर्तें/अन्य विवरण संबंधित मंडल कार्यालय से कार्यालयीन समय में या उक्त वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। नीलाम के प्रथम दिन प्रातः 9.00 बजे से भोजन अवकाश तक इमारती काष्ठ, भोजन के बाद अपरान्ह 14.00 बजे से जलाऊ नीलाम इसके बाद शेष इमारती काष्ठ का नीलाम किया जायेगा परंतु नीलामकर्ता को परिस्थितियों देखते हुए समय में संशोधन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है। छिंदवाडा के प्रस्तावित नीलाम में जलाऊ चट्टे अस्थाई डिपो मेहलारी एवं लावाघोघरी में रखे हुये हैं। लामटा के कनकी डिपो के प्रस्तावित नीलाम में जलाऊ चट्टे अस्थाई डिपो तिरोड़ी, कंजई एवं उकवा तथा व्यापारिक बांस पाद्रीगंज एवं कंजई डिपो में रखे हुये हैं। नीलाम प्रातः 9 बजे से सूर्यास्त तक, आवश्यकता पड़ने पर एवं नीलाम पूर्ण न होने की स्थिति में नीलाम दूसरे दिन भी जारी रखा जा सकेगा।

नोट:- 2. क्रेताओं को सुझाव दिया जाता है कि अधिक से अधिक राशि बैंक ड्राफ्ट/पेऑर्डर से जमा की जावे। यह क्रेताओं के स्वयं के हित में है।


प्रबंध संचालक